



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या -2586/2016 .....जिला.....बूंदी.....

उनवान - मैसर्स शिव इंजिनियरिंग वर्क्स, बूंदी बनाम ए.सी.टी.ओ. वार्ड-द्वितीय, बूंदी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2017	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री नत्थूराम, सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकरण को विदज्ञ करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी ने जरिये विदज्ञ प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमनेस्टी स्कीम, 2017 के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं एवं प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत अपील को विदज्ञ करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील संख्या 2586/2011/बूंदी जरिये विदज्ञाल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	



